

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:-20/अ-19(3)/2017-18/1399

बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, उपवनमण्डलाधिकारी मुलताई (सा.) के पत्र क्रमांक-02 दिनांक 01-01-2018 द्वारा, राजस्व मद की भूमि के अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्य किए जाने के लिए मौजा लालावाड़ी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 598 रकबा 70.114 हेक्टेयर में से 30.000 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 668 रकबा 18.487 हेक्टेयर में से 12.000 हेक्टेयर (कुल 42.000 हेक्टेयर) भूमि वन विभाग को प्रदाय करने का अनुरोध तहसीलदार आमला से किया गया है।

2- उपवनमण्डलाधिकारी मुलताई (सा0) के उक्त प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार आमला द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

(1)- मौजा लालावाड़ी स्थित खसरा नंबर 598 रकबा 70.114 हेक्टेयर में से 30.000 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 668 रकबा 18.487 हेक्टेयर में से 12.000 (कुल 42.000 हेक्टेयर) भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु हस्तांतरित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 2-10-2017 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से, मौजा लालावाड़ी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 598 एवं 668 में से 42.000 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु हेतु वन परिक्षेत्र मुलताई को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(3)- वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा वर्ष 2016-17) के अनुसार मौजा लालावाड़ी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 598 रकबा 70.144 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 668 रकबा 18.487 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज। अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 के अनुसार उक्त खसरा नंबर छोटे झाड़ का जंगल मद में दर्ज है।

(4)- खसरा नंबर 598 के खसरा की कैफियत में, प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन की प्रविष्टी अंकित है।

(3)- प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 18-1-2018 के अनुसार, खसरा नंबर 598 रकबा 70.144 हेक्टेयर में से मौजा अनुसार लगभग 0.500 हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित हुई है। उक्त भूमि को छोड़कर 30.000 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

(4) तहसीलदार आमला/अनु0 अधि0 (रा0) मुलताई द्वारा मौजा लालावाड़ी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 598 रकबा 70.144 हेक्टेयर में से 30.000 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 668 रकबा 18.487 हेक्टेयर में से 12.000 हेक्टेयर (कुल 42.000 हेक्टेयर) भूमि वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई है।

3- म0प्र0शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात-नजूल/99 दिनांक 27-1-2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक -7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:-2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का एवं शासकीय विभागों को भूमि अंतरण के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार आमला / अनुविभागीय अधिकारी (सा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा आमला तहसील आमला स्थित छोटे झाड़ का जंगल मद के खसरा 598 रकबा 70.144 हेक्टेयर में से 30.000 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 668 रकबा 18.487 हेक्टेयर में से 12.000 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मध्यप्रदेश शासन वन विभाग (वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल) को निम्नानुसार शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है:-

- (1)- हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।
- (2)- भूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण का कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) शर्तों का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।



(मूलचक्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:-20 / अ-19(3) / 2017-18 / 1399
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 07 / 02 / 2018

- 1- वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा0) वनमण्डल की ओर सूचनार्थ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
- 3- तहसीलदार आमला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 4- उपवनमण्डलाधिकारी मुलताई (सा0) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 6- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

8/2/18